न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

वईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 366/2021
दायर दिनांक :– 07.07.2021

अनवान

श्री लोडकिया राम पिता स्व. नन्दा मीणा नि. पांचा का बाडा तह. जहाजपुर

प्रार्थी.........

बनाम

तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थी..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शशिकान्त पत्रिया, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 17.02.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम सेहलादाता प. ह. बिन्ध्याभाटा की आ.न. 3429 कुल किता 1 रकबा 3.02 बीघा कृषि भुमि प्रार्थी के पिता स्व. नन्दा के नाम पर 1/4 हक व हिस्सा स्थित है। आराजी सं. 3429 पुस्तेनी कृषि भुमि है तथा प्रार्थी के पिता स्व. नन्दा के पिता का नाम गोगा था तथा इसी अनुरूप अन्य रेकार्ड में भी गोगा ही नाम दर्ज आ रहा था। आराजी सं. 3429 के राजरव रेकार्ड में पूर्व में प्रार्थी के दादाजी का नाम गोगा ही दर्ज था परन्तु बाद में राजस्व कर्मचारियों के लापरवाही एवं गलती से गोगा के स्थान पर भोमा दर्ज कर दिया जो सहवन के प्रतीत होता है। प्रार्थी के पिता का निधन हो चुका हैं तथा अन्य दस्तावेजों में गोगा दर्ज होने तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी गोगा दर्ज है इस कारण उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल खोले जाने में भी समस्या उत्पन्न हो गई है। इस कारण रेकार्ड में दुरस्ती किया जाकर भोमा के स्थान पर गोगा दर्ज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज दादाजी के नाम को दुरस्त कर संशोधित नही किया जाता है तो उक्त कृषि भूमि का इन्तकाल खोला जाना सम्भव नही होगा एवं अन्य कई समस्या उत्पन्न हो जायेगी। दिनांक 26.08.2020 को जमाबन्दी की नकल लेने पर उक्त त्रुटि की जानकारी हुई तभी से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः निवेदन है की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आ. सं. 3429 के 1/4 हक व हिस्से में दर्ज खातेदार नन्दा पिता भोमा के स्थान पर नन्दा पिता गोगा दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार जहाजपुर की तरफ से दिनाक 14.02.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली में संलग्न है। जिसमें सेटलमेंट के मिलान खसरा के अनुसार प्रार्थी का नाम नन्दा पिता गोगा 1/4 दर्ज बताया है। साक्ष्य स्वरूप मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, जमाबन्दी की प्रतिलिपी सम्वत 2028 से 31, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई। जो पत्रावली के संलग्न है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम नन्दा पिता भोगा के बजाय नन्दा पिता गोगा नाम में शुद्वी कराये जाने के संबध में तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम नन्दा पिता भोगा के बजाय नन्दा पिता गोगा दर्ज शुद्वी किया जाना उचित है, जिससें न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सेहलादाता प. ह. विन्ध्याभाटा की आ.न. 3429 कुल किता 1 रकबा 3.02 बीघा में सहखातेदार नन्दा पिता भोगा के बजाय नन्दा पिता गोगा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner